

सं. 13017/2/96-रा.भा.(नी.स.)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली- 3  
दिनांक 25 फरवरी, 2005

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:- अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय के संबंध में ।**

-----

अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय देने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 29.12.93 के का.ज्ञा.सं.13017/2/89-रा.भा. (ग) का अधिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे हैं । राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं । कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है । इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर करवाया जाए तथा अनुवाद की दरें आकर्षक रखी जाएं । मानदेय की नई दरें निम्न प्रकार रखी गई हैं:-

(i) सामान्य प्रकार की सामग्री से अनुवाद किए जाने वाली भाषा में अनुवाद करने के लिए 60/- रु. प्रति हजार शब्द,

(ii) संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं आदि तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य के लिए 65/-रु. प्रति हजार शब्द ।

2. मानदेय स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं:-

(क) अनुवाद कार्य अपने कार्यालय या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है परन्तु गैर-सरकारी व्यक्तियों से नहीं । इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखे ।

(ख) अनुवाद कार्य इस बात को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी ड्यूटी तथा उत्तरदायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाध्यकारी न हो ।

(ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों - निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उपनिदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक - से मानदेय के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए ।

(घ) विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए मानदेय स्वीकार किया जा रहा है ।

(ङ ) इस मानदेय पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा ।

(च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते हैं या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंद का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए । प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने हैं उनके मसौदे हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप में हिंदी में ही तैयार करें । जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए ।

(छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.7.1998 के का.ज्ञा.सं.17011/3/97-स्था. (भत्ते) के अनुसार मानदेय की अधिकतम सीमा राशि रू. 5000/-प्रतिवर्ष है ।

3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य कार्यरत तथा ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों जिनमें कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, के द्वारा करवाया जा सकता है ।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. यह कार्यालय ज्ञापन, वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 25.1.2005 की अ.वि.टि.सं.17011/4/96-स्थापना (भत्ते) में दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।

(बृजमोहन सिंह नेगी)  
निदेशक (नीति)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. संघ लोक सेवा आयोग ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।

7. भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, बहादुरशाह जफर मार्ग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली.
8. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली.
9. सरकारी उद्यम विभाग, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली.
10. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक ।
11. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) , राजभाषा विभाग (5 अतिरिक्त प्रतियाँ) - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा भारती में प्रकाशित करें ।
12. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, व अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र (संलग्न सूची के अनुसार) ।
13. केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।
14. क्षेत्रीय कार्यालयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।
15. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ)
16. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
17. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक भवन, 10088-89, नवीकरीम, झण्डेवालान रोड, नई दिल्ली-55.
18. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (श्री डी.आर. चट्टोपाध्याय, उप सचिव) , नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.